7/4/18 पत्रावली पेश हुई। उ0 पत्र 07.12.11 तक स्वीकार
किया जाकर उ0 पत्र 1 ली आर्डर खारिज किया जाता
है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली दैनिक सूचनार्थ होकर
नेश्रा से बाद होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–42 / 25 तारीख रजु:– 09.10.25

उनवान

1. मोहनी उम 60 साल
2. गीता उम 58 साल

पुत्रियान कैलाप्रसाद

सभी जातियान माली निवासीयान होली खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. गोपाल
2. बाबू

पुत्रान कैलाप्रसाद

3. बिस्सो पत्नि स्व0 विजयसिंह
4. पुष्पेन्द्र
5. लखन
6. भूरी
7. राजकुमारी

पुत्र पुत्रियान विजयसिंह

जातियान माली निवासीयान होली खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली

8. करणसिंह पुत्र झींगुरिया जाति माली निवासी झील का हार, नदी बरखेडा करौली तहसील व जिला करौली
9. जगदीश पुत्र रामफुल जाति माली निवासी अटा गुनेसरा तहसील करौली जिला करौली
10. लैण्ड हौल्डर तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र धारा 212 आर टी एक्ट
में
आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

–::आदेश::– दिनांक:–7.4.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायलान प्रार्थीयान ने यह आवेदन इस आशय का पेश किया है कि

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

सायलान ने अपना हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड चंदरी वगै0 वहक गोपाल वगै0 दिनांक 2.3.2002 के दिवस त्याग कर दिया है और सायलान को विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रहता है। यह जानकारी सायलान को हमेशा से रही है। फिर भी यह प्रार्थना–पत्र गैरसायलान के विरूद्व झूठे मनगंढत तथ्य दर्ज कर पेश किया है। सायलान को कोई वाद हेतुक उदय भी नहीं हुआ है। तब यह वाद पेश करने का हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। सायलान द्वारा प्रस्तुत यह वाद वादकारण के अभाव में इसी स्तर पर आदेश आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अंत में प्रार्थना स्वीकार कर प्रार्थना–पत्र सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

सायल अप्रार्थीयान द्वारा जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में दिनांक 2.3.2002 के दिवस हक त्याग जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड करना बताया है। जो गलत है। उक्त रिलीज डीड अनपढ महिला होने का फायदा उठाकर गैरसायलान ने सायलान को धोखे में रखकर उक्त रिलीज डीड साजिशी करवाई है। जबकि सायलान ने कभी भी विवादग्रस्त भूमि का हक त्याग नहीं किया है। आज भी भूमि पर काबिज काश्त है। गैरसायलान गलत व साजिशी रिलीज डीड के आधार पर सायलान को हक हकूकों से वंचित करना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीयान ने जबाव प्रार्थना–पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सायलान ने अपना हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड चंदरी वगै0 वहक गोपाल वगै0 दिनांक 2.3.2002 के दिवस त्याग कर दिया है और सायलान को विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। यह जानकारी सायलान को हमेशा से रही है। फिर भी यह सायलान गैरसायलान के विरूद्व झूठे मनगंढत तथ्य दर्ज कर पेश किया है। सायलान को कोई वाद हेतुक उदय भी नहीं हुआ है। तब यह वाद पेश करने का हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। सायलान द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र वादकारण के अभाव में इसी स्तर पर आदेश आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी

वकील अप्रार्थीयान गैरसायलान का बहस में कथन है कि गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में दिनांक 2.3.2002 के दिवस हक त्याग जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड करना बताया है। जो गलत है। उक्त रिलीज डीड सायलान अनपढ महिला होने का फायदा उठाकर गैरसायलान ने सायलान को धोखे में रखकर उक्त रिलीज डीड साजिशी करवाई है। जबकि सायलान ने कभी भी विवादग्रस्त भूमि का हक त्याग नहीं किया है। आज भी भूमि पर काबिज काश्त है। गैरसायलान गलत व साजिशी रिलीज डीड के आधार पर सायलान को हक हकूकों से वंचित करना चाहते है। अंत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 2.3.2002 का अवलोकन किया गया। जो सायलान द्वारा गैरसायलान 1 व 2 एवं गैरसायलान नंबर 3 ता 7 के पिता व पति विजय सिंह के हक में पंजीयन कराया गया है। जिसको सायलान द्वारा आज दिवस तक सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। हक त्याग करने से सायलान के वादग्रस्त आराजी में कोई हक हकूक खातेदारी शेष नहीं रहते है और सायलान को उक्त दावा पेश करने का वादकारण दिनांक 25.08.2025 को उदय नहीं होता है। प्रार्थना–पत्र सायलान वादकारण के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है और प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान/गैरसायलान आदेश 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र/टी.आई सायल विरूद्व गैरसायलान वादकारण के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)